

क्रमांक वयू- 13 / 2020.

रीवा, दिनांक 17 / 04 / 2020

प्रति,

जिला रजिस्ट्रार,  
जिला न्यायालय, रीवा।

विषय:- Regarding To appoint District Registrar as a single point of contact for implementation of VC system project at District Courts and Tesil Courts in the State of Madhya Pradesh.

सन्दर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय का पत्र क्रमांक रजिस्ट्रार आई.टी.एस.ए. / 2020 जबलपुर दिनांक 15.04.2020 एवं 440 जबलपुर दिनांक 20 मार्च 2018।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय, रीवा को माननीय उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक रजिस्ट्रार आई.टी.एस.ए. / 2018 / 440 जबलपुर दिनांक 20.03.2018 के पालन में वीडियो कॉन्फेसिंग गार्ड-लाईन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में Single Point of Contact के अन्तर्गत अधिकृत किया जाता है।

अतः सन्दर्भित पत्रों की छायाप्रतियां सूचनार्थ एवं पालनार्थ जरिये ईमेल संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- सन्दर्भित पत्र।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
रीवा (म0प्र0)

क्रमांक वयू- 14 / 2020.

रीवा, दिनांक 17 / 04 / 2020

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2- समस्त न्यायालय रीवा / मउगंज / त्योथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां, की ओर सन्दर्भित पत्रों की छायाप्रतियां जरिये ईमेल संलग्न प्रेषित है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
रीवा (म0प्र0)